IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, EASTERN ZONE BENCH KOLKATA

In the matter of:

Appeal No. 5 /2021/EZ

Anand Kumar Jha

...Applicant

-Versus-

Union of India & Ors.

...Respondents.

AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF JHARKHAND RESPONDENT NO. 3 HEREIN.

I, Bhor Singh Yadav, Son of Sh. A. S. Yadav, aged about 39 years, presently posted as the Deputy Commissioner, Latehar having its office at Latehar, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the Deputy Commissioner, Latehar, Jharkhand and I am aware to the facts in the instant case and as such I am competent to make and affirm the instant Counter Affidavit on behalf of respondent no. 3 herein.

2. That I am a law abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.

3. That with reference to paragraph no. 1 of the instant appeal the respondent no. 3 humbly submits that these are matter of records.

4. That with reference to paragraph nos. 2 to 29 the respondent no. 3 humbly submits that, save and except what are matters of records, I deny and

dispute the statements made therein. The proper authority for these comment on the contention made in these paragraphs are to be made by MoEF & CC.

5. That with reference to paragraph nos. 30 to 33 the respondent no. 3 humbly submits that, save and except what are matters of records, I deny and dispute all the statements made therein. The respondent no. 3 herein submits that earlier that the date for public hearing in process of Environmental Clearance for the Tubed Coal Mines of the M/S Damodar Valley Corporation, was informed by the Member Secretary, Jharkhand Pollution Control Board vide letter no. 882 dated 21.08.2018 is fixed on 29.09.2018 at 11:00 A.M at Village – Tubed, District – Latehar, Jharkhand, and the information regarding the same was been forwarded to the Circle Officer, Latehar, vide letter no. 1083 dated 10.09.2018 to ensure that the local peoples of the villages falling under the jurisdiction of Tubed Coal Mines of the M/S Damodar Valley Corporation, but the same was been rescheduled due to the resistance from the said local villagers.

Thereafter, on 26.11.2018 opinion regarding the appropriate place for scheduling the said public hearing was been sought from the villagers residing in the villages falling under the jurisdiction of the Tubed Coal Mines of the M/S Damodar Valley Corporation, and only after the consent of the said villagers, the place for said public hearing was been finalized in close proximity on 10.01.2019 at Latehar Stadium (Near Boys High School), Latehar. Further, the same was been informed to the Member Secretary, Jharkhand Pollution Control Board vide letter no. 1337 dated 04.12.2018.

No. 7723 Date 28/12/2022
Isidore Kerketta
NOTARY LATEHAR

NOTARY
Isidore Kerketta
LATEHAR
Licence No.-810/2016
Govt. of Jharkhand

The said Public hearing was conducted on the said date at the scheduled place and time and was ~~been~~ presided by Shri K.K. Pathak, Junior Environmental Engineer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi Shri R.N. Kashyap, Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and Shri Nelson Ayan Bage, Additional Collector, Latehar, Jharkhand. Further, I state that the said public hearing was been conducted as in the manner stated in the EIA Notification.

The photocopy of

i. Letter no. 882 dated 21.08.2018,

ii. Letter no. 1083 dated 10.09.2018,

iii. Letter no. 1337 dated 04.12.2018,

iv. The comments of the presiding officers on the earlier scheduled date (i.e. 29.09.2018) for the said public hearing,

v. Memo No. 135 dated 10.12.2018 along with the attendance sheet of all been present on 26.11.2018 when a meeting was conducted for seeking opinion for the "place for public hearing" was been sought under the chairmanship of the Deputy Comissioner,Latehar

vi. Letter no. 1337 dated 04.12.2018,

vii. Letter no. 21 dated 07.01.2019, and

viii. The copy of the proceeding and attendance sheet of the said public hearing held on 10.01.2019

are all annexed hereto and collectively marked as Annexure "A1".

6. That with reference to paragraph nos. 34 to 40 the respondent no. 3 humbly submits that, save and except what are matters of records, I deny

and dispute the statements made therein. The proper authority for these comment on the contention made in these paragraphs are to be made by MoEF & CC.

7. I humbly submit that the District Administration shall take all necessary steps to ensure that no environmental damage is caused due to any unlawful activity and shall comply with the extant Rules, guidelines and directions that may be issued by this Hon'ble Tribunal. I crave leave of this Hon'ble Tribunal to submit any further reply if so directed by this Hon'ble Tribunal in the present Application.

8. I state that the statements contained in paragraph Nos. 1 and 2 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 3 to 7 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal

NOTARY
Isidore Kerketta
LATEHAR
Licence No.-810/2016
Govt. of Jharkhand

18/07/22

(BHOR SINGH YADAV)

DC, Latehar.

VERIFICATION

I, Bhor Singh Yadav, Son of Sh. A. S. Yadav aged about 39 years, posted as the Deputy Commissioner, Latehar having its office at Latehar, Jharkhand and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of Deputy Commissioner, Jharkhand.

Date: 18.07.22

Place: Latehar

Prepared in my Office
and identified by me.

NOTARY Isidore Kerketta LATEHAR Licence No.-810/2016 Govt. of Jharkhand

Advocate 18/07/22

Deponent

(BHOR SINGH YADAV)
Dy. Commissioner
Latehar.

Sri/Smt. Bhor Singh. yadav
Who is Identified by Sri A. P. Gupta
Advocate Solemnly Affirmed
and Declared before Me
18/07/2022
Isidore Kerketta
Notary Latehar

ANNEXURE "A1" COLLECTIVELY

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400852, 2400851, फैक्स : 0651– 2400850

पत्रांक: .... -882

राँची, दिनांक 21/8/18

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी,
सदस्य सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार, झारखण्ड।

विषय: M/S Damodar Valley Corporation for Tubed Coal Mines Project, Villages- Tubed, Mangra, Dihi, Ambajharan, Dhobiajharan, Nawari, Distt.- Latehar, Jharkhand के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लोक सुनवाई दिनांक 29.09.2018 (दिन–शनिवार) को पूर्वाहन 11.00 बजे 'Vill.- Tubed, Distt.- Latehar, Jharkhand' में निर्धारित की गई है।

ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 के तहत् लोक सुनवाई की अध्यक्षता उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी जो ए० डी० एम० रैंक के नीचे स्तर के न हो, द्वारा की जानी है। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लोक सुनवाई में सहयोग किया जायेगा।

अतः उपयुर्वत लोक सुनवाई में अध्यक्ष के रूप में स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को भाग लेने हेतु भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव।

Tirkey/Public Hearing/Ranchi Region/28

37

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक – 1083/रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
लातेहार।

लातेहार, दिनांक–10/09/2018

विषयः– **तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, झारखण्ड रांची के पत्रांक–882, दिनांक–21.08.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स दामोदर वैली कारपॅरेशन के तुबेद कोल माईन्स परियोजना मौजा–तुबेद, मंगरा, डिही, अम्बाझारण, धोबियाझारण, नेवाड़ी जिला–लातेहार के **पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक–29.09.2018 (दिन–शनिवार) समय–11:00 बजे पूर्वाह्न, मौजा–तुबेद, जिला–लातेहार में निर्धारित की गई है।**

अतः निदेशित किया जाता है कि लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय लोगों, प्रभावित स्थल एवं आस–पास के लोगों को देना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

10/9/18

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

ज्ञापांक–1083/रा0, दिनांक–10/09/2018

प्रतिलिपिः– उप मुख्य अभियंता (यांत्रिक), दामोदर घाटी निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय लोगों, प्रभावित स्थल एवं आस–पास के लोगों को ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार – प्रसार कराई जाय।

10/9/18

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

11/9/18

D/Arun.Sir.Letter/AU.List/Sanubaunolyn:3

7

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक – 1337/रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
रांची।

लातेहार, दिनांक–04/12/2018

विषयः– मे0 दामोदर घाटी निगम लिमिटेड के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के तिथि निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 दामोदर घाटी निगम लि0 के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की जानी है। जिसकी तिथि दिनांक–10.01.2019 (दिन वृहस्पतिवार) को स्थान–लातेहार स्टेडियम (बालक उच्च विद्यालय के पास) में निर्धारित की जाती है।

अतः अनुरोध है कि उक्त तिथि को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
4/12/18
उपायुक्त, लातेहार।

For Tubed Coal Block
Vidu/ Bajrahia
04/12/18

Scanned with CamScanner

5

दामोदर घाटी निगम के मे0 तुबेद कोल माईन्स, ग्राम–तुबेद, जिला–लातेहार के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक–29.09.2018 को निर्धारित लोक सुनवाई ग्रामीणो के विरोध प्रदर्शन के कारण स्थगित की जाती है।

29.9.18
(बी के गुप्ता)
शोध सहायक
झा0 रा0 प्र0 नि0 पर्षद,
रांची।

29/9/18
(आर एन कश्यप)
क्षे0 पदाधिकारी
झा0 रा0 प्र0 नि0 पर्षद
रांची।

29/9/18
(नेलसम एयोन बागे)
अपर समाहर्त्ता,
जिला–लातेहार।

दिनांक–26.11.2018 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में डी०भी०सी० के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाले ग्रामों के ग्रामीणों के साथ की गई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा उपस्थित ग्रामीणों एवं डी०भी०सी० के अधिकारियों को स्वागत करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं ग्रामीणों ने अपने–अपने परिचय दिये।

- अपर समाहर्त्ता के द्वारा जानकारी दी गई कि भूमि का अर्जन कोयला धारित क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत कुल ग्रामों की संख्या–6 है, जो अंचल लातेहार के अंतर्गत ग्राम–अम्वाझारण, धोबियाझारण, डीही, नेवाड़ी, मंगरा एवं तुबेद है। परियोजना के अंतर्गत कुल रैयती भूमि लगभग–735.38 एकड़ तथा वन भूमि एवं गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि लगभग 401.28 एकड़ है।
- उपस्थित रैयतों एवं ग्रामीणों से तुबेद कोयला खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में राय एवं अभिमत ली गई। सभी रैयतों एवं ग्रामीणों के द्वारा एक स्वर में अभिमत व्यक्त किया गया कि कोयला उत्खनन परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- ग्रामीणों के द्वारा मांग किया गया कि कम्पनी के द्वारा उचित क्षतिपूर्ति तथा अनुमान्य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन दिया जाय।
- कम्पनी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों/निदेशों के आलोक में क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान की जाएगी तथा उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की व्यवस्था दी जाएगी।
- रैयतों के द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व आवंटी कम्पनी के द्वारा भूमि क्रय की गई है। कुछ रैयतों को शेष राशि (लगभग 20 प्रतिशत) का भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा बिक्री की गई भूमि का निर्धारित मुआवजा राशि अधिक होने पर अंतर राशि भी देने का अनुरोध किया गया। डी०भी०सी० प्रबंधन की ओर से उपस्थित अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अभिलेखों एवं नियम के सुसंगत धाराओं के आलोक में समस्या का निराकरण सक्षम स्तर पर लिया जाएगा।
- अधोहस्ताक्षरी के द्वारा बताया गया कि डी०भी०सी० के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की जानी है। ग्रामीणों से राय मांगी गई कि लोक सुनवाई किस स्थान पर निर्धारित की जाय। ग्रामीणों के द्वारा एक स्वर में बताया गया कि लोक सुनवाई लातेहार स्टेडियम में निर्धारित की जाय। जिस पर सर्वसहमति व्यक्त की गई।

उपस्थित ग्रामीणों एवं पदाधिकारी को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अपर समाहर्त्ता, लातेहार। उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक 135 /रा० दिनांक– 10 / 12 / 2018

मे० डी०भी०सी० को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–

अपर समाहर्त्ता, लातेहार। उपायुक्त, लातेहार।

7

26.11.18

आज दिनांक डी. बी. सी. के लघु बांध काड-7 के निरीक्षण में बैठक की गई —

उपायुक्त. गुमला

उप विकास आयुक्त. गुमला

वालकेश्वर सिंह

ब्रजभूषण सिंह

रामचरित यादव

अजीत कुमार मैती

Sumit Chungee. DVC.

Dr. Rajiv Kumar - DVC.

Jayram oraon

सन्तोष सिंह नवाडी

सर्वे उरांव

जगदीश उरांव ॥

(8)

126
~~140~~

माखन उराँव तुबेद

सोन मात देवी
सामपति देवी
Pramila devi
सीतामनी देवी
हिरमुनी देवी
गुलभन बीबी डिही पं०स०स
निमराज देवी तुबेद

भिनसरिया देवी तुबेद

बाली उराँव

मनि० भोला उराँव
लालधारी उरांव तुबेद

टेंपा उराँव
बंधन उराँव
गुडु उराँव तुबेद

जंगली उराँव
राजकुमार उराँव
डेवकानी सिंह
Balakdu oraon
लाल उराँव तुबेद
गुड्डु उराँव तुबेद
जतरु उराँव "
बिरेन्द्र उराँव
मदनलाल उराँव
गोविन्दप्रसाद 7097361192
प्रोविन्द उराँव PVC 8004781081
शैलेन्द्र कुमार

(9)

दीपक कुमार वरीय प्रखंड आजीविका, DVC | D. Kumar

बदरुल गनी |

Suchit Singh

Amar Singh |

श्रवण . ओराँव |

वासुदेव उराँव | तुबेद

श्यामलाल उराँव | तुबेद

कमलाल उराँव | तुबेद

शंकर साव | मुरूप

Prakash |

मु. लतीफ

मो० अलीम अन्सारी
कयूम अन्सारी
सुरेन्द्र प्रसाद सिंह | मुरूप
रामजीवन सिंह | नावाडीह

बाईक

रवीन्द्र प्रसाद | होडी

मो० इफ्तखार मियां

भगवान सिंह | मंझार

Anup Oraon | Newari

राम प्रवेश |

मेलखारी सिंह |

10

[illegible]
Gorakh Singh

Scanned with CamScanner

11

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक......21....... / रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,

लातेहार, दिनांक....07/01/2019

विषयः— मे0 दामोदर घाटी निगम के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में।

प्रसंगः— भवदीय पत्रांक—1249, दिनांक—06.12..2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध सूचित किया गया है कि मे0 दामोदर घाटी निगम के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि—10.01.2019 को Latehar Stadium, (Near Boys High School), Jharkhand में निर्धारित की गई है।

अतः उक्त लोक सुनवाई में अपर समाहर्त्ता, लातेहार को अध्यक्षता करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

उपायुक्त, लातेहार।

अपर समाहर्त्ता, लातेहार

ज्ञापांक.....21.........दिनांक.....07/01/2019

प्रतिलिपिः— उप मुख्य अभियंता (यांत्रिक), मेसर्स दामोदर घाटी निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।

अपर समाहर्त्ता, लातेहार

Vidual Belthoria 08/01/2019

Manoj Sir/Letter/2019-20

Scanned with CamScanner

12

सर्वश्री दामोदर घाटी निगम के तुबेद कोल माइन्स परियोजना, खनन पट्टा क्षेत्रफल–460 हेक्टेयर, ग्राम– तुबेद, मंगरा, डिही, अम्बाझरण, धोबियाझरन, नवाड़ी थाना+ अंचल–लातेहार, जिला–लातेहार में कोयला –6एमटीपीए प्रस्तावित उत्पादन क्षमता हेतु दिनांक 10.01.2019 को झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद द्वारा सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही :–

(क) उपायुक्त, लातेहार द्वारा नामित सदस्य एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पदाधिकारियों की उपस्थिति–अनु0–01

(ख) योजना से प्रभावित होनेवाले आम नागरिकों की उपस्थिति– अनु0–02

(ग) उक्त लोक सुनवाई की सूचना आम लोगो को अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र पायोनियर (राष्ट्रीय संस्करण) में दिनांक– 08.12.2018 एवं हिन्दी दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, (पलामू संस्करण) में दिनांक–08.12.2018 को प्रकाशित की गयी थी। समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की छाया प्रति अनु0–3 पर संलग्न की गयी है।

(घ) आमलोगो के प्रश्नों, सुझाव एवं आपति तथा इकाई प्रतिनिधि श्री जे0के0 माण्डिया, उप मुख्य अभियंता (डी0भी0सी0) द्वारा दिए गए उत्तर सारणी अनु0–04 में संलग्न है।

(ड़) लोक सुनवाई की विडियोंग्राफी की सी0डी0 अनु0–05 पर संलग्न है।

सर्वश्री दामोदर घाटी निगम के तुबेद कोल माइन्स परियोजना, ग्राम– तुबेद, मंगरा, डिही, अम्बाझरण, धोबियाझरन, नवाड़ी थाना+ अंचल–लातेहार, जिला–लातेहार में कोयला –6एमटीपीए प्रस्तावित उत्पादन क्षमता हेतु दिनांक 10.01.2019 को झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन हुआ। लोक सुनवाई के कार्यक्रम की अध्यक्षता नेल्सन एयान बागे, अपर समाहर्त्ता, लातेहार, झारखण्ड के ज्ञापांक–21/रा0 दिनांक–07.01.2019 के आलोक में की गयी । इस लोक सुनवाई में प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, श्री आर0एन0 कश्यप, क्षेत्रीय पदाधिकारी, राँची, श्री कमलाकान्त पाठक, कनीय पर्यावरण अभियंता (मुख्यालय), राँची भी उपस्थित थें।

लोक सुनवाई कार्यक्रम अध्यक्ष की अनुमति से ससमय प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम श्री जे0के0 माण्डिया, उप मुख्य अभियंता (डी0भी0सी0) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित ग्रामीणों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। परियोजना की जानकारी इकाई के पर्यावरण कन्सलटेन्ट ओ0एम0टी0एस0, जयपुर के श्री अरूण यादव द्वारा दी गई। तत्पश्चात अपर समाहर्ता, लातेहार द्वारा संक्षिप्त सम्बोधन दिया गया एवं उनके द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित आम लोगों से पर्यावरण से सम्बन्धित मुद्दे उठाने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात क्षेत्रीय पदाधिकारी, राँची द्वारा बताया गया कि लोक सुनवाई में उठाये गए प्रश्नों, समस्याओं एवं सुझावों पर इकाई प्रबंन्धन द्वारा जबाब दिया जाएगा जिसे संकलित कर भारत सरकार को भेजा जाएगा।

परियोजना का पर्यावरणीय मूल्याकंन प्रभाव प्रतिवेदन जे0एम0 इन्भायरोनेट प्रा0 लि0 द्वारा तैयार किया गया है। परामर्शी कम्पनी की ओर से श्री अरूण यादव द्वारा परियोजना के सदर्भ में विस्तार से आम लोगों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि ग्राम– तुबेद, मंगरा, डिही, अम्बाझरण, धोबियाझरन, नवाड़ी थाना+ अंचल–लातेहार, जिला–लातेहार में कोयला –6एमटीपीए उत्पादन 460 हैक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा।

वर्तमान में आंकलित खनिज भण्डार के आधार पर खान का अनुमानित जीवनकाल 27 वर्ष है तथा कुल खनन योंग्य भण्डार लगभग–170.838 मिलियन टन है। खनन पद्धति यंत्रीकृत ओपेन कास्ट ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग होगी। कोयला खनन सतही स्तर से 230 मीटर तक किया जाएगा। श्री अरूण कुमार द्वारा बताया गया कि परिवेशीय वायु एवं ध्वनि स्तर गुणवता की जाँच 10 स्थानों पर की गई है तथा सतही जल के नमूने 04 स्थानों से एवं भूमिगत जल, मृदा के नमूने 10 स्थानों से लिए गए है। पारामीटर्स निर्धारित मानक के अधीन पाये गए है। परामर्शी प्रतिनिधि द्वारा अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी देते हुए बतलाया गया कि धूलकणों पर नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पौधारोपण किया जायेगा। सड़कों का नियमित रख रखाव किया जायेगा।

Niraj Hindi letter R.O. 2pg. 704

Scanned with CamScanner

ग्रामीणों द्वारा परियोजना का स्वागत करते हुये स्थानीय लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने, खनन के पश्चात् भूमि की समतलीकरण करने, प्रदूषण रोकने, रोजगार उपलब्ध कराने, वृक्षारोपण करने इत्यादि का सुझाव दिया गया। ग्रामीणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब श्री जे0के0 माण्डिया उप मुख्य अभियंता (डी0भी0सी0) द्वारा दिया गया जो लोक सुनवाई की विवरणी में अंकित है।

अन्त में इकाई के प्रतिनिधि श्री जे0के0 माण्डिया द्वारा लोक सुनवाई मे उपस्थित नागरिकों एवं ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोकसुनवाई के समापन की घोषणा की गई।

10/01/19	10/1/19	10/1/19
(के0के0पाठक)	(आर0एन0कश्यप)	(नेल्सन एयान बागे)
कनीय पर्यावरण अभियंता,	क्षेत्रीय पदाधिकारी,	अपर समाहर्त्ता,
झा0रा0प्र0 नियंत्रण पर्षद, राँची	झा0रा0प्र0 नियंत्रण पर्षद, राँची	लातेहार, झारखण्ड।

Niraj Hindi letter R.O. 2pg 705

Scanned with CamScanner

(14)

सर्वश्री दामोदर घाटी निगम के तुबेद कोल माइन्स परियोजना, खनन पट्टा क्षेत्रफल–460 हेक्टेयर, ग्राम– तुबेद, मंगरा, डिही, अम्बाझरण, धोबियाझरन, नवाड़ी थाना+ अंचल–लातेहार, जिला–लातेहार में कोयला –6एमटीपीए प्रस्तावित उत्पादन क्षमता हेतु दिनांक 10.01.2019 को झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद द्वारा सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही :–

क्रम सं0	नाम व पता	नागरिकों/ ग्रामीणों द्वारा पुछे गये प्रश्न	डी0वी0सी0 प्रतिनिधि द्वारा दिए गए जवाब
01	रामानन्द उराँव, तुबेद।	• हमारे जन्म से ही हम सुनते आ रहे हैं कि तुबेद कोल माइन्स खुलने वाली है। माइन्स खुलनी चाहिए परन्तु गाँव के विकास के लिए न की गाँव के विनाश के लिए।	अभी तुबेद कोल माइन्स का आवंटन दामोदर घाटी निगम जो भारत सरकार की संस्था है को किया गया है। इसलिए तुबेद कोल माइन्स द्वारा गाँव के विकास का कार्य सरकार के नियमानुसार किया जायेगा।
02	अनरेश उराँव, तुबेद।	• प्रभावित क्षेत्र के ग्रामिणों को क्या–क्या लाभ और हानि है, और दिये जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण दें।	यह एक सरकारी संस्था है। ग्रामीणों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नियमानुसार रैयतों को जो भी सुविधाएँ मिलना चाहिये वो अवश्य मिलेगा।
03	मुनेश्वर प्रसाद सिंह, मंगरा।	• हम चाहते हैं कि कोलयरी सुंचारू रूप से चले और आस – पास में अमन चैन बना रहे।	रैयतों / जनता के इसी प्रकार सहयोग से तुबेद कोल माइन्स सुचारू रूप से चलाया जाएगा एवं अमन चैन बरकरार रखा जायेगा।
04	रामचरित्र यादव, अम्बाझारण।	• माइन्स खुलने से कोई असुविधा नहीं है, परन्तु ग्राम के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो ताकि वे सही दिशा में बढ़े, इसके लिए कम्पनी को ग्राम के नौजवानों को रोजगार प्रदान करें।	दामोदर घाटी निगम के द्वारा इस कोल माइन्स को चलाये जाने पर लगभग चार सौ कुशल एवं अति कुशल श्रमिक के अलावे अर्द्ध कुशल एवं गैर कुशल श्रनिकों की नियोजन लगभग आठ सौ की संख्या में हो पायेगा जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा अप्रत्यक्ष रूप से हजारों की संख्या में युवकों को रोजगार प्राप्त होने का अवसर मिलेगा।
05	मनोज सिंह, मंगरा।	• ग्राम के सभी ग्रामीणों को उचित मुआवजा मिलें और बिचौलिए को नहीं लाने की बात कही एवं प्रशासन द्वारा जो कुछ ग्रामीणों पर धारा 107 लगाया गया है उसका क्या औचित्य है इसका जवाब दें।	इस कोयला खान के लिए भूमि का अर्जन भारत सरकार के द्वारा किया गया है एवं मुआवजे का भुगतान नियमानुसार सरकार के अधिकारिक संस्था के द्वारा नियम का पालन करते हुए किये जायेंगे। इसमें बिचौलिया का कोई भुमिका नहीं रहेगी। धारा 107 का विषय न्यायालय से संबंधित है एवं न्यायालय के द्वारा नियम के अनुसार इसका निष्पादन होगा।
06	शिव कुमार सिंह, नेवाड़ी।	• कोलयरी खुलनी चाहिए, जनसुनवाई की सराहना करता हूँ। भु–अर्जन के मुआवजे पर ग्रामीणों की सहमति लेकर ही जमीन का उचित दर तय हो एवं विस्थापितों को समुचित सुविधा मिले।	सम्बंधित भूमि का अर्जन भारत सरकार के द्वारा नियम के अनुसार किया गया है एवं मुआवजे का भुगतान भी नियामनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार के अन्याय का संभावना/गुंजाइश नहीं है। विस्थापितों को पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नियम के अनुसार पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया

Scanned with CamScanner

19

15

			जायेगा।
07	माया सिंह, मंगरा।	• जमीन अधिग्रहण मामलें में बिचौलिये को दरकिनार करें और सीधे विस्थापितों से बात करें। • चूँकि कोल माइन्स आज नहीं तो कल खुलेगी ही इसलिए मैं कोल माइन्स खुलने का समर्थन करती हूँ. ताकि नये रोजगार का सृजन हो और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि रोजगार में महिलाओं की भी भागीदारी हो। • विस्थापितों को आवास, स्कुल, पेयजल, स्वास्थय केन्द्र की व्यवस्था माइन्स खुलने से पहले हो। • जमीन का उचित दर तय करें एवं नौकरी कितने जमीन में दिये जायेंगे इसका विस्तृत विवरण दें।	चूँकि भूमि का अधिग्रहण भारत सरकार के द्वारा किया गया है एवं मुआवजे का भुगतान नियम के अनुसार सरकार के अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा इसलिए बिचौलिये का कोई गुंजाइस नहीं है। रोजगार में नियम के अनुसार स्त्री एवं पुरूष का विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है सभी को समान रूप से उपलब्ध अवसर प्राप्त होगा। विस्थापितों को नियम के अनुसार सही अनुमान्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जायेगें। जमीन के मुआवजे का निर्धारण नियम के तहत प्राप्त होने वाले पर्याप्त राशि निर्धारण करते हुए नियमानुसार भुगतान किया जायेगा एवं परियोजना में नियोजन का अवसर उपलब्धता के अनुरूप अवश्य प्राप्त होगा।
08	मुरली मनोहर सिंह, धोबियाझारण ।	• टी.सी.एम.एल. के द्वारा दिया गया मुआवजा आज की तुलना में बहुत कम है अंतर की राशि मिलनी चाहिए। • पर्यावरण संरक्षण पर कम्पनी द्वारा गंभीरता पुर्वक विचार करना चाहिए।	टी. सी. एम. एल. को बिक्री किये गये भूमि के संबंध में निर्धारित नियम के तहत ही विनियमित किये जायेंगे। पर्यावरण के संबंध में श्री सिंह के द्वारा व्याख्या की सराहना करते हुए व्यक्त किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु नियमानुसार समस्त उपाय का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
09	संदीप उरांव(मुखिया), डिही।	• कोलयरी खुलनी चाहिये एवं ग्रामीणों को रोजगार मिलना चाहिये। ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को कम्पनी के सामने रखना चाहिये।	परियोजना में कुशल एवं अकुशल श्रामिकों के नियोजन में स्थानीय युवकों को भी उनके योग्यता एवं कुशलता के आधार पर नियमानुसार अवसर प्राप्त होगा।
10	मुनीया देवी (मुखिया), तुबेद।	• ग्रामीण जानना चाहतें हैं कि जब हमें विस्थापित किया जायेगा तो हम भूमिहीन हो जायेंगे और हमारा खतीयानी जमीन चले जाने से हमलोगों का अस्तित्त्व खतरे में होगा, फिर हम कहाँ जायेंगे। • कम्पनी द्वारा सभी सुविधाएँ विस्थापितों को मिलनी चाहिए।	खतियानी जमीन जाने की स्थिति में संबंधित रैयतों को विस्थापन प्रमाण पत्र जिला प्रशासन से मिलेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की दिक्कत की आशंका नहीं रहेगी। नियम के अनुसार विस्थापन एवं पुर्नवास योजना का कार्यन्वयन किया जायेगा एवं नियमानुसार अन्य अनुमान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराये जायेंगे।
11	विरेन्द्र साव, मुरुप।	• कोयला खान खुलने से विस्थापितों को तो संपुर्ण मुआवजा एवं लाभ मिलेगा परन्तु जो आस–पास के ग्रामीण इस प्रदुषण से प्रभावित होंगे इसका समाधान कम्पनी बतायें। • कितने एकड़ में नौकरी मिलेगी • खदान खुले विकास हो इसका हम समर्थन करते हैं एवं क्षमता एवं दक्षता के अनुसार स्थानीय निवासीयों को रोजगार में प्राथमिकता मिले।	कोयला खान खुलने से आंस–पास में प्रदूषण से प्रभावित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण योजना तैयार किया गया है एवं नियंत्रण योजना का कार्यान्वयन किये जायेंगे एवं निगरानी सक्षम स्तर पर सुनिश्चित होंगी। स्थानीयों के कुशलता, दक्षता एवं योग्यता के अनुसार खनन परियोजना में आवश्यकतानुसार नियोजन का अवसर प्राप्त होगा।

164

16

12	बालदेव टाना भगत, धोबियाझारण।	• जल, जमीन, जंगल हमारा मुख्य धरोहर है, जमीन अधिग्रहण से पहले आप लोग इसका भी ध्यान रखें।	जल, जमीन, जंगल समाज के धरोहर को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार प्रदुषण नियंत्रण प्रबंधन सुनिश्चित कर खनन का कार्य किया जायेगा।
13	गुलशन बीवी, डीही।	• जिनके उपर धारा 107 प्रशासन द्वारा लगाया गया है उसको अनुमण्डल पदाधिकारी मुक्त करें। माइन्स खुलनें एवं विकास के पक्षधर हैं। हमार उचित हक हमें मिलें कम्पनी यह सुनिश्चित करें।	धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही न्यायालय का विषय है एवं न्यायालय के द्वारा नियमानुसार निष्पादित किया जायेगा।
14	सुरेन्द्र प्रसाद साहु, डिही।	• मुनाफे का कितना प्रतिशत हमारे क्षेत्र के विकास के कार्यो में निवेश होगा। • विस्थापितों के अस्तित्व को बचाने के लिए कम्पनी प्रबंधन द्वारा उचित कदम उठाना चाहिए। • मुआवजें की राशि ग्रामीणों के सहयोग एव सहमति से तय हो।	सी.एस.आर. के तहत अनुमान्य प्रतिशत की राशि परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए नियम के तहत व्यय किया जायेगा। विस्थापितों के लिए नियमानुसार पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा। भू–अर्जन भारत सरकार के द्वारा कोयला धारित क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत किया गया एवं मुआवजे का निर्धारण एवं भुगतान एतद संबंधित सुसंगत नियम के अंतर्गत किया जायेगा।
15	रामकेवल उराँव, तुबेद।	• खतियानी रैयतों को उसका मूल खतियान मिलना चाहिए। हमार खतियान ही हमारा पहचान है।	रैयत/खतियानी रैयतों को जिला प्रशासन के द्वारा विस्थापन प्रमाण–पत्र दिया जायेगा इसलिए इस संबंध में कोई कठिनाई का प्रश्न नहीं उठता है।
16	नन्दलाल भगत, मंगरा।	• अधिकतर ग्रामीण गैर–मजरूआ जमीन में बिना बंदोबस्ती के अपना भरण–पोषण कर रहे हैं, विस्थापन के पश्चात उनका क्या होगा। • हम माइन्स खुलने एवं विकास का समर्थन करते हैं । • जिसका जमीन कम है उसे कम पैसा मिलेगा तो उस कम पैसे से कहाँ जमीन लेंगे और कम जमीन होने के कारण कम्पनी नौकरी नहीं देगी तो हम क्या करेंगे ? इसका क्या समाधान है ?	अर्जित भूमि का मुआवजा नियम के आधार पर पर्याप्त मात्रा में भुगतान किया जायेगा एवं परियोजना में आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार स्थानीय श्रमिकों को नियोजन का अवसर प्राप्त होगा।

10/01/19
(के0के0पाठक)
कनीय पर्यावरण अभियंता,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची

10/1/19
(आर0एन0कश्यप)
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची

10.1.19
(नेल्सन एयान बागे)
अपर समाहर्त्ता,
लातेहार, झारखण्ड।
अपर समाहर्त्ता
लातेहार

20

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400852, 2400851, फैक्स : 0651– 2400850

पत्रांक B-12-49

राँची, दिनांक 06/12/18

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी,
सदस्य सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार, झारखण्ड।

विषयः M/S Damodar Valley Corporation for Tubed Coal Mines Project, Villages- Tubed, Mangra, Dihi, Ambajharan, Dhobiajharan, Nawari, Distt.- Latehar, Jharkhand के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आपके पत्रांक 1337/रा0 लातेहार, दिनांक 04.12.2018 द्वारा लोक सुनवाई की तिथि 10.01.2019 (दिन–वृहस्तपतिवार) को पूर्वाहन् 11.00 बजे 'Latehar Stadium, (Near Boys High School) Jharkhand' में निर्धारित की गई है।

ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 के तहत् लोक सुनवाई की अध्यक्षता उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी जो ए० डी० एम० रैंक के नीचे स्तर के न हो, द्वारा की जानी है। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लोक सुनवाई में सहयोग किया जायेगा।

अतः उपयुर्क्त लोक सुनवाई में अध्यक्ष के रूप में स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को भाग लेने हेतु भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव।

Tirkey/Public Hearing/Ranchi Region/28

Scanned with CamScanner

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक – 1140 / रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
रांची।

लातेहार, दिनांक– 27 / 09 / 2018

विषयः– **मे0 दामोदर घाटी निगम लिमिटेड के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में।**

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक–882, दिनांक–21.08.2018 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि मे0 दामोदर घाटी निगम, लि0 के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की सूचना एवं प्रचार–प्रसार कराने हेतु मे0 दामोदर घाटी निगम लि0 एवं अंचलाधिकारी, लातेहार को कहा गया है।

उक्त लोक सुनवाई में अपर समाहर्त्ता, लातेहार को अध्यक्षता करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

27/09/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक– 1140 / रा0, दिनांक– 27 / 09 / 2018

प्रतिलिपिः– उप मुख्य अभियंता (यांत्रिक), मेसर्स दामोदर घाटी निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/09/18

उपायुक्त, लातेहार।